राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

(दूरभाष 0141–2227229, Email-pdme2k_rdd@yahoo.com)

क्रमांक एफ 7(185)ग्रावि/अनु–8/2012 जयपुर, दिनांक 3/12/2015

बैठक कार्यवाही विवरण

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में सिविल सोसाईटी तथा विभिन्न गैरसरकारी संगठन (NGO) के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 30.11.2015 को सामाजिक सरोकार के निम्न मुद्दों पर चर्चा हेतु बैठक शासन सचिवालय में आयोजित की गयी, जिसमें उपस्थित अधिकारीगण एवं सिविल सोसाईटी तथा विभिन्न गैरसरकारी संगठन (NGO) के प्रतिनिधियों की सूची एनेक्चर–ए पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

1. सामाजिक सरोकार के विभिन्न मुद्दों पर आधारित इस समिति को स्थाई समिति के रूप में गठित किया जाए तथा इस समिति की प्रत्येक त्रैमास में बैठक आयोजित की जाए व इसमें समिति व विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव व शासन सचिव को सदस्य बनाया जाए।

2. संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट (ATR) समय पर प्रस्तुत नहीं की जाती है। अतः संबंधित विभाग बैठक के 15 दिवस पश्चात (ATR) नोडल विभाग (ग्रामीण विकास विभाग) को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3. <u>गृह, नागरिक सुरक्षा, गृह रक्षा</u>
   1 गत बैठक में गृह विभाग से संबंधित 11 मुद्दे उठाये गये थे। अतः सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह अपने स्तर पर NGO प्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर आगामी 10 दिवस में बैठक की तिथि निर्धारित कर चर्चा करेंगे तथा बैठक की कार्यवाही विवरण जारी करेगें।
   2 बैठक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एक्ट को लागू करने के संबंध में आ रही कठिनाईयों के संबंध में चर्चा की जाएगी।

4. <u>वन विभाग</u>
   1 विभाग से संबंधित 8 विषय पिछली बैठक में विचार विमर्श हेतु रखे गये थे जिन पर अनुपालना पूर्ण नहीं हुई है अतः समयाभाव के कारण इन विषयों पर निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन की अध्यक्षता में आगामी 10 दिवस में

NGO प्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर तिथि निर्धारित कर बैठक की जायेगी तथा इन सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जायेगी। बैठक में जंगल जमीन जन आन्दोलन द्वारा उठाये गये विषय (एनेक्चर–बी) पर विचार विमर्श किया जायेगा साथ ही पेसा अधिनियम के कियान्वयन से जारी समस्याओं एवं टीएडी से संबंधित मुद्दों पर इसी बैठक में चर्चा की जायेगी जिसमें जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग व पंचायतीराज विभाग के अधिकारी भाग लेंगे।

5. <u>शिक्षा</u>

1 माध्यमिक, शिक्षा के अनुरूप ही प्रारम्भिक शिक्षा में भी एमआईएस की सुविधा सुनिश्चित की जाए तथा इसे पब्लिक डोमेन में रखा जाए जिससे प्रभावी रूप से आयोजित होने वाली बैठकों में विचार विमर्श किया जा सके।
2 मासिक प्रगति प्रतिवेदन को एमआईएस पर पब्लिक डोमेन पर रखा जाए।
3 राज्य स्तर पर 6 माह में एक बार शिक्षा विभाग के साथ संवाद स्थापित करने हेतु संबंधित अधिकारियों के साथ जयपुर में बैठक रखी जाए।
4 खण्ड व जिला स्तर पर शिक्षा संवाद को मजबूती देने हेतु स्थानीय स्तर पर जन समस्याओं का समाधान किया जाए।
5 स्टाफ पैटर्न और स्थानान्तरण पालिसी के संबंध में सिविल सोसाईटी के साथ विचार विमर्श किया जाए।
6 कम्यूनिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूती देने हेतु प्रत्येक स्कूल पर समुदायिक जागृति दिवस मनाया जाए।
7 आरएससीपीसीआर में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाए।
8 गुणवत्ता शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु सीसीई प्रकिया को लागू किया जाए।

6. <u>महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका गारण्टी योजना</u>

1 महात्मा गांधी नरेगा में रोजगार के लिए दूरभाष से डिमाण्ड किये जाने की व्यवस्था की जानी है। इसे पायलेट के तौर पर एक माह में तथा राज्य में शीघ्रता से लागू किया जायेगा।
2 महात्मा गांधी नरेगा लेबर समुह में लगाये जाए तथा नाप भी समुह में करायी जाये।
3 जिन स्थानों पर 50 प्रतिशत से कम मजदूरी दर हो वहां पर जिला कलक्टर स्वयं व्यक्तिशः जांच करें तथा इनकी समस्याओं का समाधान करे।

7. श्रम विभाग

1 पंजीयन किये गये श्रमिकों के विवाह अनुदान सहायता के क्लेमों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। अतः इनको निस्तारित कराया जाए।

8. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
   1. आशा सहयोगिनी को ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित करने हेतु अधिकृत किया जाए।

9. <u>सूचना का अधिकार</u>
   1 जिन मामलों में सूचना का अधिकार के तहत सूचना मांगी जाने पर तथा इस संबंध में यदि कोई कार्यवाही के दौरान इससे जुडे सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमला होने पर उस विषय की विस्तृत जांच का प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे कि सामाजिक कार्यकर्ता पर हमले की घटना को रोका जा सके।
   2 एमआईएस पर उपलब्ध सूचनाऐं पब्लिक डोमेन में रखी जाये।

3/12/15
परि.निदे. एवं उप सचिव
(मोएवंमू)

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-</u>
1 निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग।
4 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
5 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
7 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
8 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
9 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग।
10 निजी सचिव, शासन सचिव, मा0शिक्षा विभाग एवं आयुक्त, राष्ट्रीय मा0शि0अभियान।
11 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
12 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
13 निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
14 निजी सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग।
15 निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा।
16 श्री निखिल डे, मजदूर किसान शक्ति संगठन, गांव-देवडूगरी, पोस्ट बरार, जिला राजसमंद, राज0 को भेजकर लेख है कि बैठक में भाग लेने वाले अन्य प्रतिनिधियों को भी कार्यवाही विवरण उपलब्ध कराने का श्रम करें।
17 रक्षित पत्रावली।

3/12/15
परि.निदे. एवं उप सचिव (मोएवंमू)

मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में सामाजिक सरोकार के मुददों पर आयोजित बैठक दिनांक 30.11.2015 को मध्यान्ह 4.00 बजे में उपस्थित अधिकारीगण

(समिति कक्ष संख्या 1, मुख्य भवन, शासन सचिववालय, जयपुर)

क्र. सं.	नाम	पद मय विभाग	हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			
4.			
5.	Mukesh Sharma	Pr. Secy Med & Health	[signature]
6.	A. MUKHOPADHAYA	ACS Home.	[signature]
7.	Rakesh Verma	ACS, AR	[signature]
8.	Rakesh Srivastava	ACS, WCD	[signature]
9.	S. Sethi.	Pr. Secy. SJE	[signature]
10.	Nikhil Dey	MKSS	Nikhil
11.	बाबूलाल मीना	निदेशक प्रा.शि.	[signature]
12.	बी. आर. चौधरी	शा. उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा	[signature]
13.	HariOm Soni	SR Abhiyan, Rajasthan	[signature]
14.			
15.	[illegible]	[illegible]	[signature]
16.	Shyam Lal Menaria	SR Abhiyan Udaipur	[signature]
17.	[illegible]	संयोजक (RAAM)	[signature]
18.	GOPAL VERMA	SNVS Secretary	[signature]
19.	Rajesh Dey	[illegible]	[signature]
20.	RAMESHNANDWANA	[illegible]	[signature]
21.	Kamal Tak	kamaltak@gmail.com. (Convenor) Udaipur	[signature]
22.	Reena Pareeka	महिला संगठन - जयपुर	Reena
23.	Rohit Kumar	Commissioner EGS	[signature]
24.	[illegible]	[illegible]	[signature]
25.	[illegible]	[illegible]	[signature]
26.	Khemraj	Pr. Secy TAD	[signature]
27.	Rajat Mishra	Secy Labour	[signature]
28.	Bijit Roy	Population Foundation of India	[signature]

29.	स्नेहलता	राजस्थान महिला कारागार	स्नेहलता
30.	O.P. Kaushik	Addl Commr. Food & Civil	[signature]
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.			
60.			
61.			
62.			